राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2964/2024

अंशु शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर (राज.)।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर (राज.)।
4. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर (राज.)।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.09.2024

आदेश की दिनांक : 25.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, अजमेर में कार्यरत है। अपीलार्थी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्य कर रही थी और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 23 पर अंकित है।

अपीलार्थी को पदोन्नति उपरांत पदस्थापन नहीं किया जा रहा है। जबकि कार्यालय पुलिस अधीक्षक, अजमेर में पद रिक्त है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदस्थापन के संबंध में आवेदन मांगे गये, जिसमें अपीलार्थी ने भी आवेदन किया। उनका कथन है कि अपीलार्थी हृदय रोग से पीडित है, जिसका उपचार चल रहा है और अपीलार्थी को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने में लगभग 7 माह का समय शेष है। अपीलार्थी दिनांक 31.05.2025 को सेवानिवृत्त होने जा रही है। आलोच्य आदेश दिनांक 06.09.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त करते हुये हाडीरानी महिला बटालियन (आईआर) नारेली, अजमेर में उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष उपस्थित हुई, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 09.09.2024 के द्वारा कार्यमुक्ति आदेश को अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी का कहीं पर पदस्थापन नहीं किया गया है, जो सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 06.09.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को कार्यालय पुलिस अधीक्षक, अजमेर पदस्थापित किये जाने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, अजमेर में कार्यरत है। अपीलार्थी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्य कर रही थी और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 06.09.2024 के द्वारा हाडीरानी महिला बटालियन (आईआर) नारेली, अजमेर के लिये कार्यमुक्त किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी हृदय रोग की गंभीर बीमारी से पीडित है और जिसका अजमेर में उपचार चल रहा है और अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में पत्र दिनांक 03.09.2024 में भी उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में हम मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में

यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/ नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 06.09.2024 का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष